भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3271
जिसका उत्तर शुक्रवार, 07 अगस्त, 2026 को दिया जाना है

मध्यस्थता कानून में सुधार

3271. श्रीमती रूपकुमारी चौधरी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने त्वरित और कुशल विवाद समाधान को बढ़ावा देने तथा न्यायालयों पर बोझ कम करने के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के कार्यान्वयन की कोई समीक्षा की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अधिनियम के कार्यान्वयन में विशेषरूप से बार-बार न्यायिक हस्तक्षेप और मध्यस्थता कार्यवाही में होने वाली देरी सहित आने वाली प्रमुख चुनौतियां क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार प्रक्रियाओं को सरल बनाने, मध्यस्थता कार्यवाही से उत्पन्न होने वाले टालने योग्य मुकदमों को कम करने और देश में संस्थागत मध्यस्थता को मजबूत करने के लिए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 में किसी संशोधन पर विचार कर रही है ;

(घ) संस्थागत मध्यस्थता को बढ़ावा देने, मध्यस्थों की क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी को अपनाने और भारत को एक पसंदीदा अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ङ) अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप, न्यूनतम न्यायिक हस्तक्षेप को बनाए रखते हुए मध्यस्थता निर्णयों का समयबद्ध प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय प्रस्तावित हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : पिछले एक दशक से अधिक समय के दौरान, सरकार ने, अन्य बातों के साथ-साथ, भारत के विधि आयोग की 246वीं रिपोर्ट और भारत के उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बी.एन श्रीकृष्ण की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति

(एचएलसी) की रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर, माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 को वर्ष 2015, वर्ष 2019 और वर्ष 2020 में क्रमिक रूप से संशोधित किया है, जिससे अन्य बातों के साथ-साथ माध्यस्थम् परिदृश्य में विकास के साथ तालमेल बनाया जा सके और माध्यस्थम् को एक व्यवहार्य विवाद समाधान तंत्र के रूप में समर्थ किया जा सके। संशोधनों का उद्देश्य माध्यस्थम् कार्यवाहियों का समय पर समापन, मध्यस्थों की तटस्थता, माध्यस्थम् प्रक्रिया में न्यायिक हस्तक्षेप को न्यूनतम करना, माध्यस्थम् निर्णयों का प्रभावी प्रवर्तन और संस्थागत माध्यस्थम् का संवर्धन सुनिश्चित करना है।

(ग) : माध्यस्थम् सहित वैकल्पिक विवाद समाधान के क्षेत्र में संबंधित सुधारों के साथ संशोधनों के माध्यम से विधायी और नीतिगत हस्तक्षेप, पणधारियों की बदलती अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एक सतत प्रक्रिया है। इसके अतिरिक्त, समय-समय पर किए गए हस्तक्षेपों ने संस्थागत माध्यस्थम् परिदृश्य को बेहतर बनाने और सुदृढ़ करने, माध्यस्थम् को और अधिक प्रभावी बनाने तथा देश को माध्यस्थम् के अनुकूल अधिकारिता के रूप में देखे जाने में योगदान दिया है।

(घ) और (ङ) : वर्ष 2019 में माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम में किए गए संशोधनों ने अधिनियम में अन्य बातों के साथ भाग झक को सम्मिलित करके भारत में संस्थागत माध्यस्थम् के लिए कानूनी ढांचे को सक्षम बनाया है। इसके अतिरिक्त, संस्थागत माध्यस्थम् को सुगम बनाने के लिए एक स्वतंत्र, स्वायत्त और विश्व स्तरीय निकाय का सृजन करने के उद्देश्य हेतु भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र की स्थापना का उपबंध करने के लिए, भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र अधिनियम, 2019 अधिनियमित किया गया था और केंद्र को एक राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित किया गया था। तब से केंद्र की स्थापना की गई है और इसका लक्ष्य माध्यस्थम् के माध्यम से वाणिज्यिक विवादों के समाधान के लिए एक तटस्थ विवाद समाधान मंच प्रदान करके घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों पक्षों के बीच विश्वास को प्रेरित करना है। केंद्र को देश में एक आदर्श माध्यस्थम् संस्थान बनाने की परिकल्पना की गई है, जिससे माध्यस्थम् के लिए संस्थागत ढांचे की गुणवत्ता बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त होगा। केंद्र ने दक्षतापूर्ण और समयबद्ध माध्यस्थम् प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रौद्योगिकी के उपयोग सहित घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् के संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र (माध्यस्थम् का संचालन) विनियम, 2023 को अधिसूचित किया है। भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र अधिनियम, 2019 की धारा 15 केंद्र के कृत्यों का उपबंध भी करती है और अन्य बातों के साथ-साथ यह कथन करती है कि केंद्र वैकल्पिक विवाद समाधान और माध्यस्थम्, सुलह और मध्यस्थता का कार्य करने वालों को संबंधित मामलों में प्रशिक्षण प्रदान करेगा। केंद्र ने अपनी स्थापना के बाद से जागरूकता और प्रशिक्षण के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थमों से संबंधित कार्यशालाएं, सम्मेलन और सेमिनार आयोजित किए हैं, जिसमें केंद्रीय पब्लिक सेक्टर उद्यमों के अधिकारियों और अन्य पणधारियों ने भाग लिया है।

वर्ष 2015 में, माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 में अन्य बातों के साथ-साथ धारा 34 और धारा 36 में किए गए संशोधनों सहित समय-समय पर किए गए इन विधायी और नीतिगत हस्तक्षेपों ने माध्यस्थम् व्यवस्था में सुधार करने, माध्यस्थम् में न्यायिक हस्तक्षेप को न्यूनतम करने और माध्यस्थम् निर्णयों को बेहतर ढंग से लागू करने में योगदान दिया है, जिससे कारबार करने की सुगमता को सहायता मिलती है और निवेशकों का विश्वास बढ़ता है।
